प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 10.11.2026

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 09.11.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त 1. पिंटू राजपूत 2.आर्यन कुमार द्वारा वादी की साली की ईट से प्रहार कर हत्या कर देना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा- 103(1) बीएनएस व 3(2)V SC/ST ACT के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 10.11.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त 1.पिंटू राजपूत पुत्र सुरजीत सिंह निवासी ग्राम शेखपुर गवा जिला बुलंदशहर 2.आर्यन कुमार पुत्र फकीरा निवासी ग्राम उजाऊ थाना अस्थामा जिला नालंदा बिहार को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त पिन्टू ने बताया कि मैं श्रीपाल लिमिटेड कम्पनी अहमदाबाद गुजरात में कार्य करता था। मेरी दोस्ती फेसबुक/फोन के माध्यम से करीब 4-5 महीने पहले वादी की साली से हुई थी। मैं 3-4 दिन पहले उससे मिलने लोनी बॉर्डर आया था और अपने दोस्त आर्यन के किराये के कमरे में ठहरा था। मैंने वादी की साली से शादी करने के लिये कहा तो वह शादी करने के लिये मना करने लगी। कल दिनांक 09.11.2026 को वह हमारे इस कमरे पर आयी थी। मेरी उससे शादी को मना करने की बात को लेकर कहासुनी और मारपीट शुरू हो गयी जिसमें मैंने और आर्यन ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से ईट से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. पिंटू राजपूत पुत्र सुरजीत सिंह निवासी ग्राम शेखपुर गवा जिला बुलंदशहर, उम्र करीब 33 वर्ष
2. आर्यन कुमार पुत्र फकीरा निवासी ग्राम उजाऊ थाना अस्थामा जिला नालंदा बिहार, उम्र करीब 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

सड़क दुर्घटना में मृत अज्ञात व्यक्ति के शव को छिपाने के उद्देश्य से अन्य स्थान पर फेंकने की घटना का खुलासा, सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्ध वाहन एवं संबंधित व्यक्तियों की पहचान।

आज दिनांक 10.11.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी, पुलिस कमि0 गाजियाबाद क्षेत्रांतर्गत ओम विहार कॉलोनी में लकड़ी के गोदाम के पास एक खाली बाउंड्री युक्त प्लॉट में अज्ञात व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना ट्रोनिका सिटी मय पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसके सिर एवं पीठ पर चोट के निशान पाए गए। थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया तथा अज्ञात व्यक्ति के शव की पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस की मदद व घटनास्थल एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करने पर एक स्कॉर्पियो-एन गाड़ी संदिग्ध रूप से दिखाई दी एवं विस्तृत जाँच एवं सीसीटीवी फुटेज में 02 व्यक्तियों के द्वारा स्कूटी के बीच में मृतक को बैठाकर घटनास्थल थाना सोनिया विहार, दिल्ली क्षेत्र से शव को ले जाते हुए देखा गया तथा शव मिलने के स्थान ओम विहार कॉलोनी के गोदाम के पास भी उन्हीं लोगों को देखा गया तथा संदिग्ध वाहन संख्या DL8CBF1875 को ट्रेस किया गया। जांच के दौरान वाहन स्वामी एवं संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की गई, जिसमें जानकारी प्राप्त हुई कि ड्राईवर संजय के द्वारा दिनांक 10.11.2026 की रात्रि करीब 02:50 बजे चौहान पट्टी गेट, दिल्ली के सामने एक स्विफ्ट डिजायर कार संख्या HR55AT1539 से एक अज्ञात व्यक्ति की टक्कर हो गई थी। उपरोक्त घटना को कारित करने में 04 लोगों के नाम प्रकाश में आये है। चारों व्यक्तियों 1.संजय पुत्र बुद्धि राम निवासी मकान नं0 146, गली नं0 5, हनुमान मंदिर के पास, चौहान पट्टी, दिल्ली। 2. सचिन तोमर उर्फ भोलू पुत्र कल्याण सिंह तोमर, निवासी गली नं0 3, चौहान पट्टी, पीर बाबा के पास, दिल्ली। 3. आदित्य सिंह राणा उर्फ आदी पुत्र सुनील कुमार राणा, निवासी गली नं0 3, चौहान पट्टी,

पीर बाबा के पास, दिल्ली। 4. तरुण पुत्र राजकुमार निवासी गली नं0 3, चौहान पट्टी, पीर बाबा के पास, दिल्ली को हिरासत में लेकर पूछताछ कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है, शव की शिनाख्त हेतु भरसक प्रयास किये जा रहे है। घटनास्थल थाना सोनिया विहार, दिल्ली का होने के कारण थाना सोनिया विहार, दिल्ली को भी अवगत कराया गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार मृतक कबाड़ बीनने का काम करता था।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण के द्वारा पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त दुर्घटना के बाद घबराहट एवं डर के कारण हमारे द्वारा स्कॉर्पियो-एन गाड़ी से रैकी कर स्कूटी के बीच में मृतक को बैठाकर, दुर्घटना में मृत व्यक्ति के शव को घटनास्थल थाना सोनिया विहार, दिल्ली क्षेत्र से शव को उठाकर थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्रांतर्गत ओम विहार कॉलोनी स्थित खाली प्लॉट में लाकर डाल दिया गया था।

हिरासत में लिये गये अभियुक्तों का नाम व पता -

1.संजय पुत्र बुद्धि राम निवासी मकान नं0 146, गली नं0 5, हनुमान मंदिर के पास, चौहान पट्टी, दिल्ली।
2. सचिन तोमर उर्फ भोलू पुत्र कल्याण सिंह तोमर, निवासी गली नं0 3, चौहान पट्टी, पीर बाबा के पास, दिल्ली।
3. आदित्य सिंह राणा उर्फ आदी पुत्र सुनील कुमार राणा, निवासी गली नं0 3, चौहान पट्टी, पीर बाबा के पास, दिल्ली।
4. तरुण पुत्र राजकुमार निवासी गली नं0 3, चौहान पट्टी, पीर बाबा के पास, दिल्ली।

अभियुक्तों से बरामदगी का विवरण

1. स्विफ्ट डिजायर कार संख्या HR55AT1539
2. स्कार्पियो एन वाहन संख्या- DL8CBF1875